राजस्व अपील संख्या 298/2018
अनवान
पोकरराम वगैरा बनाम गंगाराम वगैरा

दिनांक 28–11–2019

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 28/2017 अनवान रतनाराम वगैरा बनाम गंगाराम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 6–6–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने आज एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि अपीलांट/प्रार्थी गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र संख्या 31/2016 अनवान रतनाराम बनाम गंगाराम का प्रस्तुत किया था उसके साथ ही प्रस्तुत धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6–6–18 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यंयालय हाजा मे प्रस्तुत की गई थी, जो इस न्यायालय मे विचाराधीन है ।

वकील रेस्पो0 ने उक्त प्रार्थना पत्र के सलंग्न मूल प्रकरण संख्या 31/2016 अनवान रतनाराम बनाम गंगाराम वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 20–11–19 की छायाप्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी से मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. पर पारित आदेश दिनांक 6–6–18 मूल आदेश मे मर्ज हो चुका है इसलिए अब उक्त अपील इन्फक्चूअस (निष्प्रभावी) हो चुकी है इसलिए उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं आदेश दिनांक 20–11–19 की प्रति से अपीलांट अधिवक्ता को अवगत कराया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वर्तमान अपील संख्या 298/2018 अनवान पोकरराम वगैरा बनाम गंगाराम वगैरा निष्प्रभावी हो जाने से खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जाये । वर्तमान अपील का टाईटल इस आदेश का अंग समझा जाये। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.04 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested